

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित]
क्रमांक 292 भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 जून 2012—आषाढ़ 5, शक 1934

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जून 2012

क्र. एफ 7-2/2012/छ:-1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम, 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. उद्देश्य.—

इस योजना का उद्देश्य मध्यप्रदेश के निवासी वरिष्ठ नागरिक(60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवनकाल में एक बार, प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नामनिर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु शासकीय सहायता प्रदान करना है।

3. परिभाषाएं.—

इस नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “तीर्थ स्थान” से तात्पर्य उस स्थान/स्थानों के समूह से है जो कि धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (ख) “यात्रा से तात्पर्य नियम 3 (क) में उल्लिखित स्थान की यात्रा एवं उक्त स्थान की यात्रा के लिये की गई आनुषंगिक यात्राओं से है।
- (ग) “यात्री” से तात्पर्य उस व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह से हैं, जो नियम 3 (क) में उल्लिखित स्थान/स्थानों की यात्रा प्रारंभ करता है।
- (घ) “आवेदक” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह से है, जो नियम 3(क) में उल्लिखित स्थान की यात्रा करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है।
- (ङ) “सहायक” से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कि 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के आवेदक/आवेदकों के साथ यात्रा पर जाता है। यह व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए।
- (च) “कोटा” से तात्पर्य यात्रियों की उस संख्या से है, जो राज्य सरकार राज्य, जिला अथवा अन्य प्रकार से निर्धारित करे।
- (छ) “एजेंन्सी” से तात्पर्य उस संगठन अथवा संस्था से है, जिसका चयन राज्य सरकार इस नियम के अन्तर्गत यात्राएं आयोजित करने हेतु करे। प्रथमतः आई.आर.सी.टी.सी. के पैकेज अनुसार यात्रियों को भेजा जायेगा।
- (ज) “संचालक” से तात्पर्य उस अधिकारी से है, जिसे कि योजना के संचालक हेतु धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा अधिकृत किया जाय।
- (झ) “जीवन साथी” से तात्पर्य यात्री की पत्नी अथवा पति से है।

4. यात्रा पर जाने के लिए पात्रता.-

इस योजना के अन्तर्गत आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होंगी :-

- (1) मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- (2) 60 वर्ष से अधिक आयु का हो।
- (3) आयकरदाता न हो।
- (4) इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में यात्रा न की हो।
- (5) यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा टी.बी., कांजेस्टिव कार्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी Coronary अपर्याप्तता, Coronary thrombosis, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो।

5. निरर्हता- (1) यदि यह पाया गया कि आवेदक/यात्री ने असत्य जानकारी देकर या तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया है तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा।

- (2) नियम 15 में वर्णित शर्तों के उल्लंघन पर भी आवेदक/यात्री को योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा।
- (3) नियम 5(1) एवं (2) के अन्तर्गत निरर्ह व्यक्ति को भविष्य में आवेदन के लिए भी निरर्ह घोषित किया जा सकेगा।

6. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन राज्य स्तरीय प्रबंध समिति.-

- (1) राज्य सरकार विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा हेतु यात्रियों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन प्रबंध समिति गठित कर सकेगी।

- (2) उक्त समिति निम्नानुसार सदस्य होंगे :-

- | | |
|---|---------|
| 1. मंत्री, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व | अध्यक्ष |
| 2. मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण | |
| 3. मंत्री, पर्यटन | |
| 4. प्रमुख सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व | सचिव |
| 5. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण | |
| 6. प्रमुख सचिव, गृह | |
| 7. प्रमुख सचिव, वित्त | |
| 8. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | |
| 9. प्रमुख सचिव, पर्यटन | |

समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण समिति की कार्यवाही को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

7. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन राज्य स्तरीय प्रबंध समिति के कर्तव्य.-

- (1) समिति, निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगी-

(क) वरिष्ठ नागरिकों की यात्राओं के लिए आवश्यक और उपयोगी जानकारी का संग्रहण एवं

प्रचार-प्रसार।

- (ख) यात्रियों की शिकायतों/समस्याओं को स्थानीय अधिकारियों के ध्यान में लाकर उनका निराकरण करना।
- (ग) यात्रियों की सुविधा के उद्देश्य से अन्य आवश्यक कार्य करना एवं सुझाव देना।
- (घ) अन्य कार्य जो समय-समय पर सरकार द्वारा सौंपे जाएं।
- (2) समिति अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए समय-समय पर उप समितियां बना सकेगी।

8. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जिला स्तरीय प्रबंध समिति:-

- (1) राज्य सरकार विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा हेतु यात्रियों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन प्रबंध समिति गठित कर सकेगी।
- (2) उक्त समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे-

1. जिले का प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
2. कलेक्टर	सचिव
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	
4. जिला पुलिस अधीक्षक	
5. माफी शाखा (कलेक्टर कार्यालय) के प्रभारी अधिकारी/ कलेक्टर द्वारा नामांकित उप जिलाध्यक्ष से अनिम्न अधिकारी	
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	
7. जिले का सत्कार अधिकारी	

जिले के प्रभारी मंत्री की अनुपस्थिति में कलेक्टर, समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण समिति की कार्यवाही को प्रश्नगत नहीं किया जायगा।

9. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जिला स्तरीय प्रबंध समिति के कर्तव्य:-

- 1. समिति निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगी-
 - (क) वरिष्ठ नागरिकों की यात्राओं के लिए आवश्यक और उपयोगी जानकारी का संग्रहण एवं प्रचार-प्रसार।
 - (ख) यात्रियों की शिकायतों/समस्याओं को स्थानीय अधिकारियों के ध्यान में लाकर उनका निराकरण करना।
 - (ग) यात्रियों की सुविधा के उद्देश्य से अन्य आवश्यक कार्य करना एवं सुझाव देना।
 - (घ) अन्य कार्य जो समय-समय पर सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

10. तीर्थ स्थानों की सूची:-

यात्रा हेतु तीर्थ स्थानों की सूची संलग्न परिशिष्ट में दी गई है उक्त सूची में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा और स्थानों को सम्मिलित अथवा कम किया जा सकेगा।

11. आवेदन प्रक्रिया.-

- (1) आवेदन दो प्रतियों में सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा।
- (2) आवेदन-पत्र मात्र हिन्दी में ही भरा जाएगा।
- (3) आवेदन के साथ 3.5cm x 3.5cm साइज का नवीनतम रंगीन फोटो निर्धारित स्थान पर फ्रंट पोज में (सफेद पृष्ठभूमि मात्र) लगाना होगा।
- (4) आवेदन के साथ निवास के साक्ष्य (प्रूफ ऑफ रेसीडेंस) के लिए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा—
 - (1) राशन कार्ड की प्रतिलिपि
 - (2) ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि
 - (3) विद्युत देयक की प्रतिलिपि
 - (4) मतदाता पहचान पत्र की प्रतिलिपि
 - (5) राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य कोई अन्य साक्ष्य
- (5) आवेदन-पत्र जिस लिफाफे में प्रेषित किया जाए उस पर “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना वर्ष 20—में — स्थान की यात्रा के लिए आवेदन” अंकित किया जाए। रिक्त स्थानों में जिस वर्ष में तीर्थ स्थान की यात्रा हेतु आवेदन किया जा रहा है उसका उल्लेख किया जाना चाहिये।
- (6) आवेदक को किन्हीं दो नामनिर्देशितियों का नाम एवं अन्य विशिष्टतां जिनसे उनसे किसी आपात स्थिति में तुरंत सम्पर्क किया जा सके, का वर्णन भी आवेदन – पत्र में निर्धारित स्थान पर करना होगा। अपने कम से कम एक नामनिर्देशिती का मोबाइल नंबर देना आवश्यक होगा।
- (7) 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति, जिसने कि अकेले यात्रा हेतु आवेदन किया है, को अपने साथ एक सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। नियम 12(4) के अन्तर्गत व्यक्तियों के समूह द्वारा आवेदन करने पर उक्त समूह के साथ 3 से 5 व्यक्तियों के समूह को 1 सहायक ले जाने की पात्रता होगी, बशर्ते कि इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का हो। एक समूह में अधिक से अधिक 5 सहायक ही यात्रा पर जा सकेंगे। पति/पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी। सहायक की यात्रा का संबंधी होना आवश्यक नहीं है।
- (8) यदि आवेदक पति/पत्नी में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर जा सकेगा। आवेदक के जीवन-साथी की आयु 60 वर्ष से कम हो, तब भी आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगी/कर सकेगा। आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवनसाथी भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है। ऐसी स्थिति में उक्त जीवनसाथी का आवेदन भी आवेदक के आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। यदि सहायक को यात्रा पर साथ ले जाने की पात्रता है तो उस सहायक का आवेदन भी आवेदक के साथ ही जमा किया जायेगा।
- (9) यदि व्यक्तियों के समूह एक साथ आवेदन करते हैं तो संपूर्ण समूह को एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जाएगा। उक्त समूह, अधिक से अधिक 25 आवेदकों का हो सकेगा। समूह का एक आवेदक समूह का मुखिया कहलायेगा। अन्य सभी आवेदकों के आवेदन उसके आवेदन के साथ संलग्न कर जमा किये जाएंगे। यदि उक्त समूह में सम्मिलित व्यक्तियों को सहायक ले जाने की पात्रता है तो प्रस्तावित सहायकों के आवेदन भी इसी आवेदन के साथ संलग्न किए जाएंगे। समूह में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों की, जिसमें सहायक भी सम्मिलित होंगे, संख्या 25 से अधिक

नहीं होंगे।

- (10) सहायक को यात्रा पर ले जाने की दशा में उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त को अनुज्ञेय हो।
- (11) आवेदक को निकटतम तहसील/उप तहसील में या निर्धारित स्थान पर, इच्छित स्थान की यात्रा हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

12. चयन की प्रक्रिया.-

यात्रियों का चयन कलेक्टर द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा:-

- (1) यात्रा हेतु प्राप्त समस्त आवेदनों को यात्रा स्थानवार छांटा जाएगा।
- (2) प्रत्येक स्थान की यात्रा हेतु प्राप्त आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जायगा। यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाटरी (कम्प्यूटाइज्ड ड्रा ऑफ लॉट्स) द्वारा यात्रियों का चयन किया जाएगा। कोटे के 10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनायी जायगी।
- (3) चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा।
- (4) लाटरी निकालते समय आवेदक के आवेदन के साथ उसकी पत्नी अथवा पति (यदि उनके द्वारा भी यात्रा के लिये आवेदन किया गया हो) एवं सहायक (यदि सहायक की पात्रता हो और सहायक ने भी यात्रा पर जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हो) को एक मानते हुए लाटरी निकाली जाएगी एवं लाटरी में चयन होने पर यात्रा के लिये उपलब्ध बर्थ/सीटों में से उतनी संख्या कम कर दी जाएगी। नियम 11 के उप नियम (9) के अनुसार समूह में आवेदन किये जाने की स्थिति में, पूरे समूह के सदस्यों एवं उनके सहायकों (यदि सहायक की पात्रता है और सहायक ने भी यात्रा हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो) का एक आवेदन मानते हुए लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा। समूह में लाटरी में चयन होने की स्थिति में समूह में सम्मिलित आवेदकों की संख्या अनुसार चयन मानते हुए उतनी संख्या तक बर्थ/सीटें, उपलब्ध बर्थ/सीटों की संख्या से जाएगी।
- (5) चयनित यात्रियों एवं प्रतीक्षा सूची को कलेक्टर, कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एवं अन्य ऐसे माध्यम से, जो कि उचित समझे, प्रसारित किया जाएगा।
- (6) केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है, यात्रा पर जा सकेगा। वह अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा।

13. यात्रा की प्रक्रिया-

- (1) कलेक्टर द्वारा चयनित यात्रियों की सूची शासन द्वारा निर्धारित एजेन्सी को सौंपी जाएगी।
- (2) निर्धारित एजेन्सी यात्रियों के समूह को यात्रा पर ले जाने की व्यवस्था करेगी।
- (3) यात्रियों के यात्रा का व्यय एवं उन्हें उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं का विनिश्चय शासन द्वारा किया जाएगा।
- (4) यात्रियों के साथ अनुरक्षक (एस्कार्ट) के रूप में प्रथमतः राजस्व विभाग के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भेजा जाएगा। राजस्व विभाग के कर्मचारियों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य विभागों एवं शासकीय निगम/मण्डल/आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी भेजा जा सकेगा। उक्त व्यवस्था पर होने वाला व्यय शासन वहन करेगा।

(5) यात्रियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था कलेक्टर द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

14. यात्रियों के समूह-

यात्रा केवल सामुहिक रूप से आयोजित की जाएगी। उक्त समूहों का निर्धारण शासन अथवा शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी/एजेंसी द्वारा किया जाएगा। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के लिए शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या में यात्री उपलब्ध होने पर ही यात्रा प्रारंभ की जाएगी। योजना के अन्तर्गत चयन होने मात्र से ही किसी व्यक्ति को यात्रा कराने हेतु शासन बाध्य नहीं होगा।

15. अन्य व्यक्तियों के यात्रा करने के प्रतिबंध-

केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन इस योजना के अन्तर्गत यात्रा हेतु किया गया है, इस यात्रा पर जा सकेगा। वह अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को, भले ही वह यात्रा का व्यय देने हेतु तैयार हो, यात्रा में साथ नहीं ले जा सकेगा। ट्रेन एवं वाहनों में केवल चयनित ही यात्रा करेगा और एक सीट/बर्थ पर केवल एक ही व्यक्ति यात्रा करेगा।

16. अतिरिक्त व्यय के संबंध में-

यदि कोई यात्री, यात्रा के दौरान, शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों/सुविधाओं के अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है तो उसका भुगतान उसे स्वयं करना होगा।

17. यात्रा के दौरान अपेक्षाएं-

- (1) यात्री किसी तरह के ज्वलनशील पदार्थ या मादक पदार्थ किसी भी रूप में साथ नहीं ले जा सकेंगे।
- (2) यात्री अपने साथ आभूषणादि भी नहीं ले जा सकेंगे।
- (3) यात्री तीर्थ की मर्यादा के अनुसार आचरण करेंगे ताकि प्रदेश की छवि अन्यथा प्रभावित न हों।
- (4) यात्री अपने निर्धारित सम्पर्क अधिकारी के निर्देशों का पालन करेंगे।

18. यात्रा के दौरान अप्रत्याशित परिस्थितियां -

यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिये राज्य शासन अथवा कोई अधिकारी/कर्मचारिणी उत्तरदायी नहीं होगा।

19. योजना का व्यय -

योजना के क्रियान्वयन हेतु व्यय (बजट सीमा तक) जिसमें यात्राव्यय अन्य प्रशासनिक व्यय तथा परिवहन, दूरभाष, विज्ञापन, प्रचार-प्रसार, व्यावसायिक एवं परामर्श सेवाएं प्राप्त करना, सत्कार व्यय आदि सम्मिलित है, करने के लिए प्रमुख सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग सक्षम होंगे।

20. मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन कोष -

राज्य सरकार योजना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष बजट में समुचित प्रावधान करेगी। योजना के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन कोष स्थापित किया जायेगा जिसमें राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि और निजी स्त्रोतों से प्राप्त राशियां सम्मिलित होंगी। कोष का संचालन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा किया जाएगा, जो इसे जिलों को आवश्यकतानुसार आवंटित कर सकेगा। इस कोष का उपयोग उक्त कर्तव्यों के अतिरिक्त तीर्थ यात्रा प्रबंधन हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी,

संपर्क व्यक्ति के वेतन भत्तों एवं अन्य आनुषंगिक व्ययों के लिए भी किया जा सकेगा।

21. संचालक.-

योजना के दिन प्रतिदिन संचालन हेतु शासन द्वारा संचालक की नियुक्ति की जायेगी जो उपसचिव से अनिम्न स्तर का अधिकारी होगा। उसे आवश्यकतानुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां प्रमुख सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकेगी।

22. अन्य.-

उपरोक्त वर्णित नियमों में प्रावधान होते हुए भी, योजना के क्रियान्वयन हेतु संसाधनों की उपलब्धता सुलभ कराने एवं प्रशासकीय निर्णय, जिसमें वित्तीय व्यय (बजट प्रावधान की सीमा तक) भी सम्मिलित है के लिए प्रमुख सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग अधिकृत होंगे।

23. नियमों का निर्वचन.-

इन नियमों के किसी भी उपनियम या खण्ड की व्याख्या के लिये प्रमुख सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।

यात्रा हेतु अधिसूचित तीर्थ स्थानों की सूची

1. श्री बद्रीनाथ
2. श्री केदारनाथ
3. श्री जगन्नाथ पुरी
4. श्री द्वारका पुरी
5. हरिद्वार
6. अमरनाथ
7. बैष्णोदेवी
8. शिर्डी
9. तिरुपति
10. अजमेर शरीफ
11. काशी (वाराणसी)
12. गया
13. अमृतसर
14. रामेश्वरम्
15. सम्मेल शिखर
16. श्रवणबेलगोला
17. वेलांगणी चर्च, नागापट्टनम (तमिलनाडू)
18. रामदेवरा, जेसलमेर, राजस्थान
19. गंगा सागर
20. कामाख्या देवी
21. गिरनार
22. पटनासाहिब
23. उज्जैन
24. श्री रामराजा मंदिर, ओरछा
25. चित्रकूट
26. ओंकारेश्वर, महेश्वर
27. मुड़वरा
28. करतारपुर साहिब, पाकिस्तान
29. तख्त सचखण्डजी हुजूर साहिब, नांदेड
30. केशगढ़ साहिब, आनंदपुर, पंजाब
31. दमदमा साहिब, बटिंडा पंजाब
32. पोंटा साहिब, सिरमोर, हिमाचल प्रदेश
33. मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ-7-1-2016-छ:-विभागीय आदेश क्र. एफ-7-2-2012-छ:, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 26 जून 2012 को प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-7-2-2012-छ:, दिनांक 25 जून 2012 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजन नियम, 2012 में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. नियम 4 (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-
“60 वर्ष से अधिक आयु का हो. परन्तु यह भी कि 60 प्रतिशत से अधिक विकलांग व्यक्ति पर आयु का बंधन लागू नहीं होगा, बशर्ते कि वह यात्रा करने हेतु अन्यथा सक्षम हो”
2. नियम 11 (7) में निम्नलिखित पंक्ति विलोपित की जाी है :-
“पति/पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी.”
3. नियम 11 (7) में “65 वर्ष से अधिक आयु के”, पश्चात् निम्न शब्द जोड़े जाते हैं :-
अथवा “ 60प्रतिशत विकलांग ”

शेष शर्तें पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ 7-2-2012-छ:, दिनांक 26 जून 2012 के अनुसार रहेंगी. यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू माना जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(मनोज श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश शासन,

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।

मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 3-24/2013/छै:

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2014

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय:- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को और अधिक बेहतर बनाने के संबंध में।

दिनांक 1-9-2014 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की प्रगति की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना को और अधिक बेहतर बनाने के लिये विचारोपरात शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

- (1) योजना में अब जिलों में विकासखण्ड और नगरों में जोन को इकाई बनाया जा रहा है. उनका बराबर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।
 - (2) योजना में अब राजस्थान के जैसलमेर स्थित श्री रामदेवरा को भी शामिल किया गया है. इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
 - (3) एक राजपत्रित अधिकारी जिला स्तर से हर ट्रेन में तीर्थ यात्रियों के साथ भेजा जाए जो तीर्थ यात्रियों की सुविधाजनक यात्रा व दर्शन आदि सुनिश्चित करने के साथ कलेक्टर के माध्यम से शासन को यात्रा प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करें।
 - (4) एक ही लाभार्थी योजना का लाभ दोबारा न उठा पाए इसके लिये कलेक्टर उनका न्व/आधार कार्ड अथवा अन्य माध्यम से डाटाबेस तैयार करें.
 - (5) यात्रियों से फीडबैक प्रपत्र प्राप्त करे, उस पर कलेक्टर समीक्षात्मक टीप लिखकर राज्य सरकार को संसूचित करें।
2. कृपया उपरोक्तानुसार शीघ्र कार्यवाही करें एवं की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत कराएं।

हस्ता./-

मनोज श्रीवास्तव

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.

पृ. क्रमांक एफ 3-24/2013/छै:

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2014

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.
2. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ.
3. प्रबंधक (पर्यटन), आई.आर.सी.टी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय-तल बैंक ऑफ इण्डिया बिल्डिंग, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

**मध्य प्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 18/01/2018

क्रमांक 2755/17/छै: विभागीय आदेश क्रमांक एफ-7-2-2012-छै: मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 26 जून 2012 को प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-2-2012-छै: दिनांक 25 जून 2012 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम, 2012 में एतद द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. नियम 2 की उद्देशिका में से निम्नानुसार शब्दावली विलोपित की जाती है ।
उनके जीवनकाल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित" में से किसी एक स्थान "
उक्त शब्दावलियां के विलोपन पश्चात् संशोधित पुनरीक्षित उद्देशिका का निम्नानुसार स्वरूप की है।
उद्देशिका – इस योजना का उद्देश्य म0प्र0 के निवासी वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों की यात्रा सुलभ कराने हेतु शासकीय सहायता प्रदान करना है।"
2. नियम 3 की परिभाषा में निम्नानुसार उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाता है :-
3(अ) – "विधायक" से तात्पर्य है, म0प्र0 विधान-सभा के लिए निर्वाचित वर्तमान विधान-सभा सदस्य।
3(ट) – "वर्तमान के तीर्थ स्थानों के साथ-साथ समीप के तीर्थों" से तात्पर्य है, परिशिष्ट-(एक) में वर्णित तीर्थ स्थानों की सूची के निकटवर्ती आने वाले तीर्थ स्थल, जो सूची संलग्न परिशिष्ट-(दो) में दी गई है ।
3. नियम 4 (2) में 60 वर्ष से अधिक आयु का हो, के पश्चात् निम्नानुसार शब्दावली प्रतिस्थापित की जाती है :-
" ;महिलाओं के सन्दर्भ में 02 वर्ष की छूट होगी)।"
4. नियम 4 (4) में "इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में यात्रा न की हो" शब्दावली विलोपित कर निम्नलिखित शब्दावली प्रतिस्थापित की जाती है :-
"तीर्थ यात्रा के लिए ऐसे व्यक्ति पुनः पात्र होंगे, जिनको इस योजना के अन्तर्गत यात्रा किये हुये 05 वर्ष की अवधि पूर्ण हो गयी हो ।"
5. नियम 4 (5) के पश्चात् निम्नानुसार नवीन उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाता है :-
"4 (6) कोई विधायक भी यदि श्रद्धालुओं के साथ तीर्थ यात्रा पर जाना चाहेंगे तो उन्हें भी यात्रा में जाने की सुविधा प्रदान की जावेगी । परन्तु विधायक के संबंध में उपरोक्त शर्तें लागू नहीं होंगी ।"
6. नियम 10 में परिशिष्ट-(एक) के पश्चात् निम्नानुसार शब्दावली प्रतिस्थापित की जाती है :-
"एवं परिशिष्ट-(दो)"
7. परिशिष्ट-(दो) निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :-

1.	रामेश्वरम्	—	मदुरई
2.	तिरुपति	—	श्रीकालहस्ती
3.	द्वारका	—	सोमनाथ
4.	पुरी	—	गंगासागर

- | | | | |
|----|----------|---|------------|
| 5. | हरिद्वार | — | ऋषिकेश |
| 6. | अमृतसर | — | वैष्णोदेवी |
| 7. | काशी | — | गया |

शेष शर्तें पूर्व में जारी अधिसूचना क0एफ7-2-2012-छैः, दिनांक 26 जून 2012 के अनुसार रहेगी। यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू माना जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता./—

(मनोज श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

कमांक/एफ 2-8/2017/छैः

भोपाल, दिनांक 18/01/2018

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल म0प्र0राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।
4. मान. मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण के निज सहायक, म0प्र0 भोपाल।
5. मुख्य सचिव के विशेष सहायक, म0प्र0 भोपाल।
6. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म0प्र0 भोपाल।
7. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
8. समस्त संभागायुक्त म0प्र0।
9. समस्त कलेक्टर म0प्र0।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कृपया अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर प्रकाशन की 500 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।

हस्ता./—

(किरण मिश्रा)

उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग